न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 71 आर 15/07–08

करसे बारी अपीलकर्ता

बनाम

विजय लकड़ा प्रतिवादी

आदेश

9/16.05.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 344/05–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 312.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कुसई	13	108	17.5 कट्टा

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में मोस्मात फगुनी देवी के नाम दर्ज है जिसने इसे भीमा उरॉव को बिक्री किया। क्रेता भीमा उरॉव के तीन पुत्र बिसुआ, बुरु एवं बंधु उरॉव हुए। बंधु उरॉव की भी मृत्यु हो गयी एवं उसकी पत्नी लोलेन लकड़ा है। भीमा उरॉव के इन सभी उत्तराधिकारियों ने वाद संख्या 335 आर 8 II/86–87 द्वारा धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जमीन बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त किया। शहरी भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 26 के तहत भी अनुमति प्राप्त किया गया। तत्पश्चात निबंधित बिक्री पट्टा संख्या 6079 दिनांक 9.7.1987 से जमीन वर्तमान अपीलकर्ता को हस्तांतरित कर दिया। जमीन खरीदने के बाद अपीलकर्ता दखलकार हुए एवं दाखिल खारिज वाद संख्या 295 आर 27/87–88 द्वारा उनके नाम से नामांतरण भी स्वीकृत हुआ तथा शांतिपूर्ण दखलकार रहकर लगान भुगतान करते आ रहे हैं। वर्तमान प्रतिवादी बिसुआ उरॉव के पुत्र हैं जो अपने पिता के द्वारा बिक्रय किये गये जमीन पर दावा कर रहे हैं। अपील आवेदन में दावा किया गया है कि जमीन का हस्तांतरण वैधानिक तरीके से हुई है एवं इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। विद्वान अधिवक्ता

ने बताया कि विवादित जमीन में किसी अमरेश कुमार का दखल नहीं है। इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी दाखिल किया है जिसमें दावा कियपा गया है कि धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर हस्तांतरित भूमि के मामले में धारा 71 ए के तहत वाद संधारणीय नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता अमरेश कुमार का ड्राइवर है। विवादित जमीन पर ज्ञान भारती नाम का स्कूल संचालित हो रहा है। विवादित भूमि आदिवासी समुदाय की है जो कानून से खिलवाड़ कर प्राप्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस भी दाखिल किया है जिसमें बताया गया है कि वास्तव में अपीलकर्ता अमरेश कुमार का नौकर थे एवं आदिवासी जमीन प्राप्त करने के लिए अमरेश ने उनके नाम से जमीन खरीदा। परन्तु वास्तव में अमरेश कुमार ही विवादित जमीन पर दखलकार हैं इसलिए निम्न न्यायालय में उन्हें पक्षकार बनाया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान वाद में विवादित भूमि का हस्तांतरण वाद संख्या 835 आर 8 II बर्ष 1986–87 के द्वारा अनुमति लेकर करसे बारी पिता वृजमोहन को किया गया है। तदनुसार पट्टा के द्वारा 1987 में निबंधित हस्तांतरण किया गया है। इस दृष्टिकोण से हस्तांतरण गलत नहीं है और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की संगत धाराओं का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में 71 ए के अंतर्गत वाद संधारणीय नहीं है। लेकिन अगर हस्तांतरण की अनुमति में किसी प्रकार की गलती हो तो उसके विरुद्ध प्रतिवादी अपील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया है।

अतएव अपील स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है।

दिनांकः– 16.05.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।